केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00086
संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/25/00123
अपीलकर्ता श्री आर.आर.मेहता

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	18.02.2025
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	25.02.2025
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	28.02.2025 & 18.03.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस.के. चितकारा CPIO, (DR to CIC) & श्रीमती सुमन बाला CPIO, (DR to CR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	21.03.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	02.04.2025
निर्णय की तारीख	28.04.2025

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.02.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"1.) RTI ACT के धारा 2 जे (I) के तहत निरीक्षण करने का प्रावधान है तो CPIO द्वारा समय निर्धारित क्या होता है और सूचना आयोग निरीक्षण का आदेश कब देते है या अधिनियम में निरीक्षण लागू है तो समय बताए लिखित विवरण ताकि आवेदक को जानकारी हो।

2.) लिमिटेड प्राइवेट कंपनी निकाय से सूचना लिया जाएगा जो अधिनियम के कौन सा धारा लागू है उसका लिखित विवरण दे जो धारा लागू है।

3.) केंद्रीय कम्पनी या लिमिटेड प्राइवेट कंपनी CSR जनहित फंड किसी योजना पर खर्च करता है तो आवेदक को बिल वाउचर चालान योजना मांगने का जनहित में अधिकार है या नहीं लिखिए विवरण दे।

4.) दिनांक 21/01/2025 को 01 कम्प्लेन और 06 द्वितीय अपील सुनवाई आवेदक R.R.MEHTA का सुनवाई कर रहे थे समय निर्धारित 11 AM से 11:30 AM समय निर्धारित था अपील संख्या CIC/CCFLAT/A/2024/101719 में हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त आवेदक से पूछे राशि लाखों में जमा किए मैं अवगत कराया पहले निरिक्षण का मांग किया हूँ निरीक्षण का प्रावधान है कि नहीं सुनवाई छोड़ कर मुख्य सूचना आयुक्त चले गए CPIO से यह नहीं पूछा निरिक्षण कराए है या नहीं आप CPIO का एक शब्द नहीं बोला राशि 61,15,940, आवेदक पर दबाव बनाया राशि जमा किया है निरिक्षण पर समय कुछ निर्धारित नहीं किया और CPIO का पक्ष मजबूत किया भ्रष्टाचार उजागर नहीं होने दिया इसका लिखित विवरण दे और बाकी अपील सुनवाई नहीं किया गया मैं 11:30 उपस्थित रहा BC में।

5.) दिनांक 30.05.2022 के हीरालाल सामरिया द्वारा द्वितीय अपील संख्या CIC/CCFLT/A/2021/104179 एवं CIC/CCFLT/A/2020/139196 में कार्यालय सुविधा हेतु निरिक्षण कराने का आप ने आदेश किया है वे सीसीएल से संबंधित सूचना था अपने निरिक्षण का प्रावधान लागू बताया और 21.01.2025 को 07 केश निरक्षण पर आधारित था आवश्यक निरिक्षण कुछ पेज सूचना लेना था वे भी राशि जमा कर लेना था CPIO का पक्ष मजबूत किया एक शब्द आपने नहीं पूछा आप भ्रष्टाचार को मिल कर दबाया ताकि सूचना देने से भ्रष्टाचार का खुलासा न हो आप लिखित विवरण दे ताकि नियम सगत कानून उल्लंघन न हो।

6.) मुख्या सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया द्वारा CPIO पर 25000/- रुपया जुर्माना किस द्वितीय अपील लगाया है और कब लागू होता है विवरण के साथ जुर्माना आदेश अपील संख्या भी दे।

7.) दिनांक 21.01.2025 को पूर्ण सुनवाई नहीं किया गया न ही आवेदक को बोलने का मौका मिला सुनवाई छोड़ चले गए मुख्या सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया द्वारा 07 केश का दुबारा सुनवाई करने का आदेश जारी करें संक्षिप्त सूचना आयोग निरिक्षण हो और राशि भी जमा करूँगा सूचना लूंगा इस जनहित कार्यवाही का लिखित आदेश दे।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री एस.के. चितकारा और श्रीमती सुमन बाला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों ने पत्र दिनांकित 28.02.2025 तथा 18.03.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

Points 1, 2 & 3.) - आपके द्वारा मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में उल्लेखित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है। ऐसे प्रश्नो के उत्तर/स्पष्टीकरण देना

जन सूचना अधिकारी के दायित्व से परे है, विशेष जानकारी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन करे जो कि आयोग की वेबसाइट के लिंक https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf. सहित पब्लिक डोमेन में आसानी से उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

Points 4 & 5.) – The orders mentioned in your RTI application are self explanatory. The CPIO can not comment on the decisions of the Commission.

Point 6.) – Not available.

Point 7.) - Your request for re – hearing of the second appeal can not be acceded to as there is no provision under the RTI Act, 2005 to review the decision of the Commission.

3. प्रथम अपील का आधार

"दिनांक 28.02.2025 पत्रांक संख्या CICOM/R/P/25/00123 के माध्यम कंडिका 4, 5, 6, 7 का भ्रामक जानकारी दिया जो सूचना कंडिका के अनुकूल नहीं है। CPIO द्वारा बताया गया आयोग के निर्णयों पर टिपणी नहीं कर सकता मेरा द्वारा मांगी गई सूचना कंडिका के अनुकूल नहीं रहने पर मैं आपत्ति कर सकता हूँ और गलत सूचना देने पर न्यायलय जा सकता हूँ भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना आयोग का काम नहीं है। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी से आग्रह करता हूँ मेरा जनहित सूचना का स्वयं अवलोकन करें एवं 07 कंडिका का पूर्ण सूचना देने का आदेश दे और आदेश का एक प्रति मुझे भी प्राप्त कराये इस कार्यवाही हेतु आभारी बना रहूँगा।"

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/25/00123 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है।आर.टी.आई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के अनुसार, केवल वही जानकारी जो सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है, मौजूदा है या अंतर्गत है, वही जानकारी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से ऐसी जानकारी बनाने, एकत्र करने या व्याख्या करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। इसलिए इस प्रथम अपील में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 28.04.2025

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

O/C

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
28 APR 2025
D. No.
Initials